भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 2645
11 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

सरकारी अस्पतालों में रेफरल प्रणाली और चिकित्सा अधिकारियों की जवाबदेही

2645. श्री संत बलबीर सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी अस्पतालों द्वारा आपातकालीन स्थिति में और गंभीर रोगियों को उपलब्ध स्तर पर उपचार प्रदान करने के बजाय प्राय: उच्च स्तरीय चिकित्सा संस्थानों अथवा निजी अस्पतालों को संदर्भित (रेफर) कर दिया जाता है, इस संबंध में सरकार द्वारा किया गया आकलन क्या है और अनावश्यक रेफरल को रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ऐसी पारदर्शी जवाबदेही व्यवस्था लागू करने का विचार रखती है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक रेफरल के लिए संबंधित चिकित्सा अधिकारी अथवा अस्पताल प्रशासन को लिखित रूप में नैदानिक कारण दर्ज करना अनिवार्य हो तथा टाले जा सकने वाले अथवा अनुचित रेफरल के लिए उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाए; और

(ग) क्या मंत्रालय अस्पतालों द्वारा किए गए रेफरल से संबंधित आंकड़ों का संधारण करता है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ग): स्वास्थ्य राज्य का विषय है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जन स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग प्रदान करता है, परिहार्य रेफरल को कम किया जा सके, उच्च स्तर की परिचर्या की आवश्यकता वाले रोगियों का समय पर रेफरल सुनिश्चित किया जा सके और उपयुक्त स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण नैदानिक सेवाओं की उपलब्धता में सुधार किया जा सके।

आपातकालीन और मध्यम स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए, सरकार एनएचएम के अंतर्गत भारतीय जन स्वास्थ्य मानकों (आईपीएचएस) के कार्यान्वयन, प्रथम रेफरल इकाईयों (एफआरयू) के सुदृढ़ीकरण, उच्च निर्भरता इकाईयों (एचडीयू), क्रिटिकल केयर परिचर्या इकाईयों (आईसीयू), मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य (एमसीएच) विंग और आपातकालीन परिचर्या इकाईयों के संचालन हेतु सहयोग करती है।

इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत, क्रिटिकल केयर क्षमता बढ़ाने के लिए जिलों में 631 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों (सीसीबी) की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। एनएचएम के अंतर्गत, केंद्रीय कमान-और-नियंत्रण केंद्रों से संबद्ध बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) और एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (एएलएस) एम्बुलेंस की प्रापण, परिचालन और रखरखाव के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ताकि जहां भी चिकित्सकीय रूप से आवश्यक हो, रोगियों के प्रोटोकॉल-आधारित रेफरल की सुविधा प्रदान की जा सके।

मंत्रालय जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में मानकीकृत रेफरल प्रक्रिया और संस्थागत जवाबदेही को बढ़ावा देता है। मानकीकृत रेफरल स्लिप/फॉर्म में रोगी की नैदानिक स्थिति, अंनतिम निदान, प्रदान किया गया उपचार, रेफरल का नैदानिक औचित्य और प्राप्त करने वाले सुविधा केंद्र के साथ पूर्व संचार का उल्लेख आवश्यक होता है। संस्थागत गुणवत्ता आश्वासन तंत्र के अंतर्गत रेफरल प्रक्रियाओं की भी समीक्षा की जाती है, जिसमें राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस), अस्पताल प्रबंधन समितियाँ और रोगी कल्याण समितियाँ (आरकेएस) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा स्थापित शिकायत निवारण तंत्र रोगी परिचर्या, जिसमें रेफरल भी शामिल हैं, से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए एक तंत्र प्रदान करते हैं।

व्यक्तिगत उपचार रिकॉर्ड और रेफरल लॉग संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के स्वास्थ्य विभागों द्वारा स्वास्थ्य सुविधा केंद्र स्तर पर रखे जाते हैं।

*****